FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी ....

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भवराराम पुत्र गुलाराम जाति मेगवाल निवासी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. गुलाराम पुत्र कानाराम वगैरा (46) निवारी वाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला वाड़मेर 47. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी 48. तहसीलदार गुड़ामालानी

किस्म मुकदमा...... धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. मु0नं0.......119../21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
22.09.2021	प्रार्थी भंवराराम की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री रामजीवन विश्नोई द्वारा विप्रार्थीगण गुलाराम वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.का पेश किया। जिसे वाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलव किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 24 एक ही खानदान के सदस्य हैं तथा हिन्दू विधी से शासित हैं, जो पूर्व पुरूष स्व0 कानाराम के उत्तराधिकारी हैं। प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 24 की पैतृक संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम वाण्ड पटवार क्षेत्र बाण्ड तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 469 रकवा 9–14 वीघा, खसरा नम्बर 24 रकवा 8–09 वीघा, खसरा नम्बर 27 रकवा 10–13 वीघा, खसरा नम्बर 650 रकवा 27–14 बीघा, खसरा नम्बर 660 रकवा 29–00 वीघा एवं खसरा नम्बर 664 रकवा 8–00 वीघा एवं प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 46 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 605 रकबा 108–15 बीघा की आई हुई हैं। प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 विप्रार्थी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र हैं। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का बहक बराबर हिस्सा है। इसी हिस्से अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगण भूमि पर काबिज है। विप्रार्थी संख्या 01 विप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के दबाब में आकर प्रार्थी द्वारा उपजाऊ बनाई गई प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को अजनवी व्यक्तियों को बेचानकर प्रार्थी को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। यदि इस तरह पैतृक सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर विप्रार्थी संख्या 01 अपने नाजायज मकसद में कामयाव होते हैं तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा अपने पैतृक हकों से महरूम रहना पड़ेगा, जिसकी आपूर्ति भविष्य किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में उक्त आराजी विप्रार्थी संख्या 01 के नाम़ से दर्ज है। प्रार्थी संख्या 1 विप्रार्थी संख्या 1 का जायन्दा पुत्र होने से प्रार्थी के उक्त आराजी में जन्म से ही हक अधिकार निहित हैं। प्रार्थी ने अपने हकों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में प्रस्तुत किया गया है। जिसके निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक विप्रार्थीण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई से एक पक्षीय वहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थी, विप्रार्थी संख्या 01 के विधिक वारिस होने एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होने से उक्त आराजी में प्रार्थी के हक निहित है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है यदि विप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी के हिस्से की भूमि को बेचान कर प्रार्थी को वेदखल करते हैं तो प्रार्थी को अपूरतनीय क्षति होगी। अतः तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के हक में निहित हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आरजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पांवन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी ग्राम बाण्ड पटवार क्षेत्र वाण्ड तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 469 रकबा 9–14 बीघा (1.5702 है0), खसरा नम्बर 24 रकबा 8–09 वीघा (1.3678है0), खसरा नम्बर 27 रकवा 10–13 वीघा (1.7240है0), खसरा नम्वर 650 रकबा 27–14 बीघा (4.4839 है0) , खसरा नम्बर 660 रकवा 29–00 वीघा (4.6943है0) एवं खसरा नम्बर 664 रकवा 8–00 वीघा एवं [illegible] के खसरा नम्बर 605 रकवा 108–15 वीघा (17.6038है0) की भूमि के रेकर्ड [illegible] स्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थी, विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड [illegible] प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 23.11.2021 [illegible] हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण/विप्रार्थीगण (प्रमोद कुमार) कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:28:03 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

	बनाम	
सीसीएमएस संख्या		किस्म मुकदमा

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज
30/06/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थीगण वकील जवाब हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11/07/25 को पेश हो।
11/07/25	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 28/07/25 को पेश हो
28/07/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उप०। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 CPC का पेश किया। अप्रार्थी वकील ने कॉपी प्राप्त की। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 14/08/25 को पेश हो।
14/08/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी अनु० प्रार्थी स्वयं अनु०। प्रार्थी को मय अधिवक्ता कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजे दिलाई गई। बावजूद आवाजे दिलाने के प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से [illegible] प्रार्थी की [illegible] अदम पैरवी [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] मुकदमा के जल्द [illegible]

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:23:03 IST
Reason: SelfAttested